



प्रेस नोट

थाना पूरनपुर

थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को एक अदद नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर मय एक अदद मैगजीन व 03 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेला।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के निर्देशन में आज दिनांक 12.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना पूरनपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गुरुदेव सिंह पुत्र श्रीकान्त सिंह नि० ग्राम उदयकरनपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत को पूरनपुर मुख्य हाइवे पीलीभीत पूरनपुर रोड से माहदिया को जाने वाले रास्ते पर मोड़ के पास बने सरकारी गोदाम के आगे महादिया की तरफ 100 कदम की दूरी पर पर से समय करीब 13.50 बजे 01 अदद नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर मय एक अदद मैगजीन व मैगजीन में फसे 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत पर मु०अ०सं०- 184/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अभियुक्त गुरुदेव सिंह पुत्र श्रीकान्त सिंह नि० ग्राम उदयकरनपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत पंजीकृत किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तारशुदा अभि० अभियुक्त गुरुदेव सिंह उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त –

अभियुक्त गुरुदेव सिंह पुत्र श्रीकान्त सिंह नि० ग्राम उदयकरनपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत

बरामदगी-

01 अदद नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर मय एक अदद मैगजीन व मैगजीन में फसे
03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

अभियुक्त गुरुदेव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 1692/2010 धारा 307/504/506/427 भादवि0 थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत ।

2.मु0अ0सं0- 33/2021 धारा 147/307/323/324/506 भादवि0 थाना गजरौला जिला पीलीभीत ।

3.मु0अ0सं0- 184/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना पूरनपुर0 जिला पीलीभीत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री प्रताप सिंह
- 2.उ0नि0 यू0टी0 मोहित सिंह

